

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

क्रमांक/ईएमआरस/4ब/2020/495'

भोपाल, दिनांक 02.05.2020


प्रति

सर्व प्राचार्य,
कन्या शिक्षा परिसर/ आदर्श आवासीय विद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय: सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त करने के संबंध में ।
संदर्भ: CBSE/AFF/2020, Dated 24.04.2020 ।

विषयांतर्गत सभी विशिष्ट आवासीय विद्यालयों (एकलव्य आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर एवं आदर्श आवासीय विद्यालय) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से सबद्ध किया जाना है । सी.बी.एस.ई. द्वारा मान्यता हेतु 30 जून 2020 को अंतिम तिथि नियत की गई है ।

अतः उक्तानुसार समय-सीमा में आपकी विद्यालय हेतु सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त करें । इस हेतु वर्तमान में आपके विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग करें ।
(आयुक्त द्वारा आदेशित)



उपायुक्त
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक/ ईएमआरस/4ब/2020/496

भोपाल, दिनांक 02.05.2020

प्रतिलिपी:-

1. संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश ।
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश ।


उपायुक्त
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश